



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

19 मई 2026

आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (पूंजी पर्याप्तता) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

समीक्षा करने के बाद तथा बासेल स्तंभ(पिलर) 3 संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अधिक संगति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज स्तंभ 3 प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) सातवाँ संशोधन निदेश, 2026
- भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

निदेशों के उक्त मसौदों पर 2 जून 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट2रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक, तुलन- पत्र समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001

अथवा

विषय पंक्ति '(संशोधन निदेशों के मसौदे का पूर्ण नाम) पर प्रतिक्रिया' लिखकर [ई-मेल](mailto:helpdoc@rbi.org.in) द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं।